



संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/आरएसएस/85/07/2025

Ref: IRDAI/NL/CIR/RSS/85/07/2025

दिनांक / Date: 25.07.2025

ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्वों संबंधी मास्टर परिपत्र
Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations

अध्याय – I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- क) यह मास्टर परिपत्र बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 9 के अधीन जारी किया जाता है। यह मास्टर परिपत्र ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्वों, 2025 संबंधी मास्टर परिपत्र के रूप में जाना जाएगा।
- ख) यह मास्टर परिपत्र सभी जीवन, साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए लागू है।
- ग) ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्वों संबंधी मास्टर परिपत्र, 2024 केवल वित्तीय वर्ष (विव) 2024-25 हेतु बीमाकर्ताओं के दायित्वों के लिए ही लागू होगा। ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्वों संबंधी मास्टर परिपत्र, 2025 वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगा।

2. इस मास्टर परिपत्र के प्रयोजन के लिए परिभाषाएँ

- (क) “विनियम” से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 अभिप्रेत हैं;
- (ख) “साधारण बीमाकर्ता - 1” से स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई), कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) को छोड़कर अन्य साधारण बीमाकर्ता अभिप्रेत हैं।
- (ग) “साधारण बीमाकर्ता - 2” से एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित साधारण बीमाकर्ता अभिप्रेत हैं।
- (घ) “परिषदें” से “जीवन बीमा परिषद” और “साधारण बीमा परिषद” अभिप्रेत हैं।
- (ङ) “आधारभूत आंकड़े” से अभिप्रेत हैं
 - i. जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं-2 के लिए संबंधित ग्राम पंचायत में जीवनों की कुल संख्या
 - ii. साधारण बीमाकर्ताओं-1 के लिए संबंधित ग्राम पंचायत में निवास-स्थानों और दुकानों की कुल संख्या

अध्याय – II

बीमाकर्ताओं के दायित्व

3. प्रत्येक बीमाकर्ता यहाँ इस परिपत्र में निर्दिष्ट वित्तीय वर्षों के दौरान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दायित्व ग्रहण करेगा-

(अ) ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित दायित्व:

क) जीवन बीमा -

- i. प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता आबंटित ग्राम पंचायतों में वैयक्तिक और/या सामूहिक बीमा पालिसियों के अंतर्गत जीवनो के न्यूनतम विनिर्दिष्ट प्रतिशत को कवर करेगा तथा सभी बीमाकर्ता सामूहिक तौर पर ग्राम पंचायतों की विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या को कवर करेंगे।
- ii. आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 7(ग) के अनुसार दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र दायित्व निम्नानुसार होगा:-

वित्तीय वर्ष	परिषद द्वारा बीमाकर्ताओं को आबंटित की जानेवाली ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या	बीमाकर्ताओं द्वारा ग्राम पंचायत में कवर किये जानेवाले जीवनो का न्यूनतम प्रतिशत
2025-26	25000	15%
2026-27	50000	(i) पिछले वर्षों के लिए आबंटित ग्राम पंचायतों के लिए 25% तथा
		(ii) वर्ष के दौरान नई जोड़ी गई ग्राम पंचायतों के लिए 10%

ख) साधारण बीमा [स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई), कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) और ईसीजीसी को छोड़कर अन्य बीमाकर्ता] -

- i. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता-1 आबंटित ग्राम पंचायतों में क) अग्नि बीमा के अंतर्गत निवास-स्थानों और दुकानों; तथा ख) मोटर बीमा के अंतर्गत वाहनों के न्यूनतम विनिर्दिष्ट प्रतिशत को कवर करेगा तथा सभी बीमाकर्ता सामूहिक तौर पर ग्राम पंचायतों की विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या को कवर करेंगे।
- ii. आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 7(ग) के अनुसार दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ग्रामीण दायित्व निम्नानुसार होगा:-

वित्तीय वर्ष	परिषद द्वारा बीमाकर्ताओं को आबंटित की जानेवाली ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या	ग्राम पंचायत (जीपी) में कवर किये जानेवाले निवास-स्थानों और दुकानों का न्यूनतम प्रतिशत	एक ग्राम पंचायत (जीपी) में मोटर बीमा के अंतर्गत कवर किये जानेवाले वाहनों का न्यूनतम प्रतिशत
2025-26	25000	15%	15%

2026-27	50000	(i) पिछले वर्षों के लिए आबंटित ग्राम पंचायतों के लिए 25% तथा (ii) वर्ष के दौरान नई जोड़ी गई ग्राम पंचायतों के लिए 10%	(i) पिछले वर्षों के लिए आबंटित ग्राम पंचायतों के लिए 25% तथा (ii) वर्ष के दौरान नई जोड़ी गई ग्राम पंचायतों के लिए 10%
---------	-------	--	--

ग) स्वास्थ्य बीमा (साधारण बीमाकर्ता एसएचआई सहित, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर) –

- प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता-2 वैयक्तिक और/या सामूहिक बीमा पालिसियों के अंतर्गत आबंटित ग्राम पंचायतों में क) स्वास्थ्य बीमा और ख) वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत जीवनों के न्यूनतम विनिर्दिष्ट प्रतिशत को कवर करेगा तथा सभी बीमाकर्ता सामूहिक तौर पर ग्राम पंचायतों की विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या को कवर करेंगे।
- आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 7(ग) के अनुसार दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ग्रामीण दायित्व निम्नानुसार होगा:-

वित्तीय वर्ष	परिषद द्वारा बीमाकर्ताओं को आबंटित की जानेवाली ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत बीमाकर्ताओं द्वारा एक ग्राम पंचायत में कवर किये जानेवाले जीवनों का न्यूनतम प्रतिशत	वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत बीमाकर्ताओं द्वारा एक ग्राम पंचायत में कवर किये जानेवाले जीवनों का न्यूनतम प्रतिशत
2025-26	25000	15%	15%
2026-27	50000	(i) पिछले वर्षों के लिए आबंटित ग्राम पंचायतों के लिए 25% तथा	(i) पिछले वर्षों के लिए आबंटित ग्राम पंचायतों के लिए 25% तथा
		(ii) वर्ष के दौरान नई जोड़ी गई ग्राम पंचायतों के लिए 10%	(ii) वर्ष के दौरान नई जोड़ी गई ग्राम पंचायतों के लिए 10%

(आ) सामाजिक क्षेत्र से संबंधित दायित्व:

- क) सभी बीमाकर्ता –** आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 7(ग) के अनुसार, सभी बीमाकर्ताओं (एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर जीवन, साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं) के संबंध में दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सामाजिक क्षेत्र दायित्व निम्नानुसार होंगे:

वित्तीय वर्ष	कवर किये गये कुल जीवनों के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किये जानेवाले जीवनों का न्यूनतम प्रतिशत
2025-26	10%

2026-27	12%
---------	-----

(इ) मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय के संबंध में दायित्व:

क) सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर) – आईआरडीआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 7(ग) के अनुसार, सभी साधारण बीमाकर्ताओं (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर) के संबंध में दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय के संबंध में दायित्व निम्नानुसार होंगे:

वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष में साधारण बीमाकर्ता का मोटर अन्य पक्ष बीमा बाजार अंश	पिछले वित्तीय वर्ष में मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों (विविध खंड) की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग	
		2025-26	2026-27
दूसरे और तीसरे वर्ष	2% तक	12.50%	13.75%
	2% – 5%	10.00%	11%
	5% – 10%	7.50%	8.25%
	10% से अधिक	5.00%	5.50%

अध्याय-III

ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित दायित्वों की गणना करने की कार्यपद्धति

4. किसका मापन करना चाहिए

क) जैसा लागू हो, संबंधित परिषदें बीमाकर्ताओं के साथ परामर्श करने के बाद:

- प्रत्येक बीमाकर्ता को आबंटित की जानेवाली ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या की गणना करने के लिए बाजार अंश जैसे मानदंडों अथवा किसी अन्य मानदंड की पहचान करेंगी।
- प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए लागू ऐसे मानदंडों के आधार पर, बीमाकर्ता-वार आबंटित की जानेवाली ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या का निर्धारण करेंगी।
- जैसा लागू हो, जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ता-1 और साधारण बीमाकर्ता-2 को ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या सूचित करेंगी:

क. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (विव) की समाप्ति से कम से कम 45 दिन पहले।

ख) कवर की जानेवाली ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या की प्राप्ति के बाद, संबंधित परिषद और अन्य प्रयोज्य बीमाकर्ताओं के साथ परामर्श करने के बाद, प्रत्येक बीमाकर्ता:

- दायित्वों की पूर्ति के लिए अपनी पसंद के राज्य / संघराज्य क्षेत्र (यूटी) में ग्राम पंचायतों की पहचान करेगा।

- ii. सारे भारत में कवरेज की व्याप्ति करने के लिए सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों (यूटी) में ग्राम पंचायतों के पर्याप्त कवरेज को ऐसे तरीके से सुनिश्चित करेगा कि कोई भी राज्य/संघराज्य क्षेत्र (यूटी) अपने प्रतिनिधित्व के बिना न रहे, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - क. जीवन बीमाकर्ता अन्य जीवन बीमाकर्ताओं और जीवन बीमा परिषद के साथ ग्राम पंचायतों के नाम साझा करेगा।
 - ख. साधारण बीमाकर्ता-1 और साधारण बीमाकर्ता-2 अन्य साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं तथा साधारण बीमा परिषद के साथ ग्राम पंचायतों के नाम साझा करेंगे।
- iii. संबंधित परिषदें सुनिश्चित करेंगी कि:
 - क. एक जीवन बीमाकर्ता के द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायत का चयन किसी अन्य जीवन बीमाकर्ता द्वारा नहीं किया जाएगा।
 - ख. एक साधारण बीमाकर्ता-1 के द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायत का चयन किसी अन्य साधारण बीमाकर्ता-1 द्वारा नहीं किया जाएगा।
 - ग. एक साधारण बीमाकर्ता-2 के द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायत का चयन किसी अन्य साधारण बीमाकर्ता-2 द्वारा नहीं किया जाएगा।
- iv. ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, संबंधित परिषदें आबंटित ग्राम पंचायतों की बीमाकर्ता-वार सूची आईआरडीएआई के साथ वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 30 दिन पहले तक साझा करेंगी।
- v. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, बीमाकर्ताओं को निरंतरता को बनाये रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबंटित ग्राम पंचायतों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि, किसी भी आबंटित ग्राम पंचायत में जारी रखने में कोई अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में, बीमाकर्ता आबंटित ग्राम पंचायत को बदल सकता है तथा वह 31 जुलाई 2025 से पहले परिवर्तन के लिए कारणों सहित संबंधित परिषदों को ब्योरा साझा करेगा। संबंधित परिषदें अंतिम रूप दी गई ग्राम पंचायतों की सूची आईआरडीएआई को 14 अगस्त 2025 तक प्रस्तुत करेंगी।

5. ग्राम का एलजीडी कूट प्राप्त करना

- क) संबंधित प्रशासनिक इकाइयों की अद्यतन सूची का अनुरक्षण करने के लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (यूटी) हेतु पंचायती राज मंत्रालय की स्थानीय शासन निर्देशिका (डाइरेक्टरी) एक आनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- ख) परिषदें पंचायती राज मंत्रालय की स्थानीय शासन निर्देशिका से "जिला – ग्राम पंचायत – ग्राम - पिनकोड" का मानचित्रण (मैपिंग) प्राप्त करेंगी तथा उसे जोखिम-अंकन स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय की पहचान करने के लिए सभी बीमाकर्ताओं के साथ साझा करेंगी।
- ग) बीमाकर्ता ग्रामीण दायित्व की पूर्ति का मापन करने हेतु जोखिम-अंकन स्तर पर ग्राम का एलजीडी कूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इस कार्य का निष्पादन बीमाकर्ताओं के द्वारा एक समयबद्ध तरीके से अर्थात् 6-8 सप्ताह के अंदर पूरा किया जाएगा।

6. मापन कैसे करना चाहिए

क) जीवन बीमा – जीवन बीमाकर्ताओं के लिए; स्वास्थ्य बीमा – साधारण बीमाकर्ता-2 के लिए

- i. बीमाकर्ता यथाउपलब्ध रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत से संबंधित जीवनो की संख्या और अन्य विवरण प्राप्त करेंगे। आधारभूत डेटा प्राप्त करने के लिए वे पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, अन्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के निकायों और ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव के साथ समन्वय करेंगे।

ऐसा डेटा प्राप्त करने के लिए बीमाकर्ता सरकारी निकायों के सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वेब पोर्टलों का भी उपयोग कर सकते हैं।

ख) साधारण बीमा – साधारण बीमाकर्ता-1 के लिए

बीमाकर्ता ग्राम पंचायत में उपलब्ध रूप में निवास-स्थानों और दुकानों तथा मोटर वाहनों की संख्या प्राप्त करेंगे। आधारभूत डेटा प्राप्त करने के लिए वे पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, अन्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के निकायों और ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव के साथ समन्वय करेंगे।

ऐसा डेटा प्राप्त करने के लिए बीमाकर्ता सरकारी निकायों के सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वेब पोर्टलों का भी उपयोग कर सकते हैं।

ग) सभी बीमाकर्ताओं को आबंटित ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक का आधारभूत डेटा (इस परिपत्र में इसके बाद 'आधारभूत डेटा' के रूप में उल्लिखित):

- i. प्रत्येक बीमाकर्ता आधारभूत डेटा का संग्रहण करेगा और वह संबंधित परिषदों को प्रस्तुत करेगा। बीमाकर्ताओं के प्रस्तुतीकरण के आधार पर, संबंधित परिषदें आधारभूत डेटा के एक केन्द्रीय पूल निर्मित करने और उसका अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करेंगी।
- ii. प्रत्येक बीमाकर्ता संबंधित परिषदों के द्वारा निर्धारित फार्मेटों और समय-सीमाओं के अनुसार, आबंटित प्रत्येक ग्राम पंचायत के संबंध में दायित्वों (इस परिपत्र में इसके बाद "बीमाकृत डेटा" के रूप में उल्लिखित) को पूरा करने से संबंधित तिमाही डेटा को साझा करेगा।
- iii. संबंधित परिषदें, जैसा लागू हो, बीमाकर्ताओं के साथ परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक व्यवस्था लागू करेंगे:

क. ग्राम पंचायत में कवर किये जानेवाले जीवनो, निवास-स्थानों और दुकानों तथा मोटर वाहनों की संख्या की सूचना की पहचान करना, अभिलिखित करना, समन्वय करना, निगरानी करना और विनिमय करना तथा जहाँ भी उपयुक्त हो वहाँ राज्य/संघराज्य क्षेत्र (यूटी) में सभी ग्राम पंचायतों में दोहराना।

ख. निम्नानुसार वार्षिक समीक्षा सहित, आधारभूत डेटा को अद्यतन रखना:

1. पिछले वर्षों के दौरान आबंटित प्रत्येक ग्राम पंचायत के संबंध में आधारभूत डेटा को अद्यतन करना

2. वित्तीय वर्ष के लिए चयनित अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के लिए आधारभूत डेटा निर्मित करना और उसका अनुरक्षण करना
 3. उपर्युक्तानुसार आधारभूत डेटा के संबंध में वार्षिक समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून तक पूरी की जाएगी।
 4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, इस आधारभूत डेटा को 30 सितंबर 2025 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
- iv. ग्राम पंचायत के संपूर्ण संतृप्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बीमाकर्ता ग्राम सरपंच और ग्राम सचिव के साथ घनिष्ठ समन्वय सहित कार्य करेंगे।

7. मापन कब करना चाहिए – सामान्य – जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता-1 और साधारण बीमाकर्ता-2

- क) संबंधित परिषदें, जैसा लागू हो, बीमाकर्ताओं के साथ समन्वय और सूचना का विनिमय करने के बाद:
- i. सभी जीवन बीमाकर्ताओं और साधारण बीमाकर्ता-2 के द्वारा बीमाकृत जीवनों की संख्या, तथा सभी साधारण बीमाकर्ता-1 के मामले में बीमाकृत निवास-स्थानों व दुकानों तथा मोटर वाहनों की संख्या का पता लगाएँगी,
 - ii. तिमाही में कवर किये गये जीवनों, निवास-स्थानों व दुकानों तथा मोटर वाहनों की संख्या के तौर पर, आबंटित प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए बीमाकर्ता-वार डेटा अलग-अलग, विनिर्दिष्ट विवरणियों के अनुसार आईआरडीआई को तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगी।
- ख) क्रम सं. 3(अ) के अंतर्गत प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा कवर किये जानेवाले ऊपर निर्धारित दायित्वों में, जैसी स्थिति हो, कोई भी कमी संबंधित बीमाकर्ता द्वारा दायित्वों की पूर्ति न करने के रूप में मानी जाएगी।

8. अनुपालन की जाँच कैसे करनी चाहिए – सामान्य – जीवन बीमाकर्ता, स्वास्थ्य बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता-1 और साधारण बीमाकर्ता-2

- क) बीमाकर्ता आबंटित ग्राम पंचायत में बीमाकर्ताओं के द्वारा, जैसा लागू हो, बीमाकृत जीवनों अथवा निवास-स्थानों व दुकानों अथवा मोटर वाहनों के विवरण को प्रमाणित करते हुए, तिमाही आधार पर, ग्राम सचिव से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उक्त परिषदों के द्वारा बनाये गये प्रमाणपत्र के सामान्य फार्मेट का उपयोग करेंगे।
- ख) यदि किसी आबंटित ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव का पद रिक्त है, तो बीमाकर्ता ऐसा प्रमाणपत्र उक्त ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रमाणपत्र तिमाही आधार पर कवर किये गये जीवनों की संख्या आईआरडीआई को सूचित करने का आधार बनेगा।
- ग) ग्राम सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो, ग्राम पंचायत में बीमाकृत जीवनों या निवास-स्थानों व दुकानों अथवा मोटर वाहनों का प्रमाण होगा तथा इसे इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में रखा जाएगा और आईआरडीआई द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

- घ) सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, यदि किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से बीमाकर्ता आबंटित ग्राम पंचायतों में से किसी में ग्राम सचिव का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सका, तो स्थानीय शासन निर्देशिका (डाइरेक्टरी) का उपयोग करते हुए ग्राम सचिव के प्रमाणपत्र के बदले स्व-प्रमाणन के लिए अनुमति दी जाएगी। ऐसा स्व-प्रमाणन:
- क) आबंटित ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के 25% से अधिक नहीं होगा।
- ख) बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित बीमाकर्ता के सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया जाएगा, और उसके साथ ग्राम सचिव प्रमाणपत्र प्राप्त न करने के लिए कारण स्पष्ट किये जाएँगे।

अध्याय – IV

सामाजिक क्षेत्र के संबंध में दायित्वों की गणना करने के लिए कार्यपद्धति

9. सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में (जीवन, साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य के संबंध में, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर)

- क. **किसका मापन किया जाए** – प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 4(बी), 5 और 7 के अनुसार कुल जीवनों के अनुपात के रूप में जीवनों की न्यूनतम संख्या का बीमा करेगा।
- ख. **मापन कैसे करना चाहिए** – संबंधित परिषदें:
- सामाजिक क्षेत्र जनसंख्या के लिए डेटा संगृहीत करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करेंगी तथा जैसा लागू हो, जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं के साथ साझा करेंगी।
 - आईआरडीआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 5(ख) एवं (ग) में दी गई योजनाओं की वेबसाइट और किसी भी अन्य संगत डेटाबेस के माध्यम से विभिन्न केन्द्र और/या राज्य प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तक पहुँचने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से संपर्क करेंगी।
 - यदि संभावित ग्राहक के पास सरकार द्वारा समर्थित कोई पहचान कार्ड नहीं है, तो सामाजिक क्षेत्र के लिए पहचान के सबूत के रूप में बीमाकर्ता संभावित ग्राहक से फोटोग्राफ आदि जैसे उपयुक्त सबूत के द्वारा समर्थित उसके व्यवसाय का स्व-प्रमाणीकरण प्राप्त करें। तथापि, स्व-प्रमाणीकरण के ऐसे मामले उनके कुल सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के 20% से अधिक नहीं होंगे।
- ग. **मापन कब किया जाए** – तिमाही की समाप्ति के बाद, प्रत्येक बीमाकर्ता कवर किये गये कुल जीवनों के अनुपात के रूप में “सामाजिक क्षेत्र” की परिभाषा के अंतर्गत कवर किये गये जीवनों की संख्या का पता लगायेगा तथा तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर वह आईआरडीआई को सूचित करेगा।
- घ. **अनुपालन की जाँच कैसे की जाए** – बीमाकर्ता “सामाजिक क्षेत्र” की परिभाषा के अनुसार जीवनों के वर्गीकरण को अभिलिखित करने के लिए व्यवस्था करेगा। वह उस स्रोत / डेटाबेस को भी अभिलिखित करेगा जहाँ से “सामाजिक क्षेत्र” के रूप में वर्गीकृत जीवन लिये गये हैं।

अध्याय – V

मोटर अन्य पक्ष के संबंध में दायित्वों की गणना करने के लिए कार्यपद्धति

10. साधारण बीमाकर्ता – 1 के लिए

क. किसका मापन किया जाए - प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता – 1 को आईआरडीआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 6 और 7 के अनुसार मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि का बीमा करेगा।

ख. मापन कैसे किया जाए - साधारण बीमाकर्ता – 1 साधारण बीमा परिषद के साथ मिलकर:

- देश में अबीमाकृत मालवाहक और यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की पहचान करने के लिए बीमा सूचना केन्द्र (आईआईबी) तथा राज्य आरटीए, यथा उपलब्ध, के साथ संपर्क रखेगा।
- आईआईबी के साथ परामर्श करने के बाद, यथा उपलब्ध, अबीमाकृत मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की सूची बनाएगा जो वाहन की श्रेणी, उसकी पंजीकरण संख्या, मालिक का नाम और राज्य आरटीए जहाँ वह पंजीकृत है, से युक्त होगा।

ग. मापन कब किया जाए – प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता – 1 तिमाही की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर आईआरडीआई को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा:

- उसकी बहियों में और/या अन्य बीमाकर्ताओं की बहियों में पहले से ही दर्ज तथा उसके द्वारा नवीकृत मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की संख्या तथा,
- अबीमाकृत मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की संख्या जो उसके द्वारा बीमाकृत किये गये हों

मोटर अन्य पक्ष बीमा के लिए प्राप्त दायित्वों की गणना बीमाकर्ता-वार करने के लिए।

घ. अनुपालन की जाँच कैसे की जाए - अनुपालन की जाँच करने के प्रयोजन के लिए, ऊपर 10(ग) (ii) में दिये गये डेटा का प्रति-सत्यापन (क्रास-वेरीफिकेशन) अबीमाकृत वाहनों के आईआईबी डेटा बेस के साथ किया जाएगा।

अध्याय – VI

विविध

11. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ – आवेदक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र के अनुसार विवरणियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

12. बीमाकर्ता व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाओं के समान ही, संबंधित डेटा फार्मेटों के अनुसार ग्रामीण, सामाजिक और एमटीपी दायित्वों संबंधी डेटा आईआईबी को प्रस्तुत करेंगे।

CHAPTER – I

Preliminary

1. Short title and commencement:

- a) This master circular is issued under Section 34 of the Insurance Act, 1938, Section 14 of the IRDA Act, 1999 and Regulation 9 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024. This master circular shall be known as Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations, 2025.
- b) The master circular is applicable to all life, general and stand-alone health insurers.
- c) Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations, 2024 shall be applicable for obligations of Insurers for Financial Year (FY) 2024-25 only. The Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations, 2025 shall be applicable for the FY 2025-26 and FY 2026-27.

2. Definitions for the purpose of this Master Circular

- a) “Regulations” means Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024;
- b) “General Insurer – 1” means General Insurers other than Stand Alone Health Insurers (SAHI), Agriculture Insurance Company (AIC) & Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).
- c) “General Insurer – 2” means General Insurers including Stand Alone Health Insurers other than AIC & ECGC.
- d) “Councils” means “Life Insurance council” and “General Insurance Council”
- e) “Base data” means
 - i. Total number of Lives in the respective Gram Panchayat for Life and General Insurers- 2
 - ii. Total Number of Dwelling & Shops and motor vehicles in the respective Gram Panchayat for General Insurers -1

CHAPTER – II

Obligations of Insurers

3. Every insurer shall undertake obligations set out by the Authority during the financial years indicated herein–

(A) Obligations with respect to Rural Sector:

a) Life Insurance –

- i. Every life insurer shall cover minimum specified percentage of lives under individual and/ or group insurance policies in allocated Gram Panchayats and all insurers collectively shall cover specified minimum number of Gram panchayats.
- ii. The Rural Sector obligation for second and third year, in accordance with Regulation 7 (C) of IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024, shall be as under: -.

Financial year	Minimum number of Gram Panchayats to be allotted to the insurers by the Council	Minimum percentage of lives to be covered in a Gram panchayat by the insurers
2025-26	25000	15%
2026-27	50000	(i) 25% for the GPs allocated for the previous years and
		(ii) 10% for newly added Gram Panchayats during the year

b) General Insurance (General Insurers other than stand-alone health insurer(SAHI), Agriculture Insurance Co. Ltd (AIC) and ECGC) –

- i. Every General Insurer-1 shall cover minimum specified percentage of a) dwellings and shops under Fire insurance; and b) vehicles under motor insurance in allocated Gram Panchayats and all insurers collectively shall cover specified minimum number of gram panchayats.
- ii. The Rural Obligation for second and third year in accordance with Regulation 7 (C) of IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 shall be as under:

Financial year	Minimum number of Gram Panchayats to be allotted to the insurers by the Council	Minimum percentage of dwellings and shops to be covered in a Gram panchayat (GP)	Minimum percentage of vehicles to be covered under motor insurance in a Gram panchayat (GP)
2025-26	25000	15%	15%
2026-27	50000	(i) 25% for the GPs allocated for the previous years and	(i) 25% for the GPs allocated for the previous years and
		(ii) 10% for newly added Gram Panchayats during the year	(ii) 10% for newly added Gram Panchayats during the year

c) Health Insurance (General Insurers including SAHI other than AIC and ECGC) –

- i. Every General Insurer-2 shall cover minimum specified percentage of lives under a) health insurance and b) personal accident insurance in allocated Gram Panchayats under individual and/ or group insurance policies and all insurers collectively shall cover specified minimum number of gram panchayats.
- ii. The Rural Obligation for second and third year in accordance with Regulation 7 (C) of IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 shall be as under: -

Financial year	Minimum number of Gram Panchayats to be allotted to the insurers by the Council	Minimum percentage of lives to be covered a Gram panchayat by the insurers under Health insurance	Minimum percentage of lives to be covered in a Gram panchayat by the insurers under personal accident insurance
2025-26	25000	15%	15%
2026-27	50000	(i) 25% for the GPs allocated for the previous years and	(i) 25% for the GPs allocated for the previous years and
		(ii) 10% for newly added Gram Panchayats during the year	(ii) 10% for newly added Gram Panchayats during the year

(B) Obligations with respect to Social Sector:

- a) **All Insurers –** In accordance with Regulation 7 (C) of IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024, the Social Sector obligations for the second and third year in respect of all Insurers (Life, General and Standalone Health, excluding AIC and ECGC) shall be as under:

Financial year	Minimum percentage of lives to be covered under social sector as a proportion of total lives covered
2025-26	10%
2026-27	12%

(C) Obligations with respect to Motor Third Party Business:

- a) **All General Insurers (other than stand-alone health insurers, AIC and ECGC) –** In accordance with Regulation 7 (C) of IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024, the obligations with respect to motor third party business for the second and third year in respect

of all general insurers (other than stand-alone health insurers, AIC and ECGC) shall be as under:

Financial year	Motor Third Party Insurance Market Share of general insurer in the last financial year	Minimum percentage increase in number of Goods Carrying, Passenger Carrying Vehicles and Tractors (Miscellaneous segment) over last financial year separately for each category	
		2025-26	2026-27
Second and third Years	Up to 2%	12.50%	13.75%
	2%-5%	10.00%	11%
	5%-10%	7.50%	8.25%
	More than 10%	5.00%	5.50%

CHAPTER – III

Methodology of arriving at the obligations with respect to Rural Sector

4. What to Measure

- a) The respective Councils, in consultation with the insurers, as applicable:
 - i. Shall identify the parameters such as market share or any other parameter to arrive at the minimum number of Gram Panchayats to be allotted to each insurer.
 - ii. Shall, based on such parameters as applicable to each insurer, determine the minimum number of the Gram Panchayats to be allotted insurer-wise
 - iii. Shall inform the minimum number of gram panchayats to the life insurers, general insurer -1 and general insurer – 2, as applicable:
 - a. by at least 45 days before the end of immediate preceding Financial Year (FY).
- b) On receipt of the minimum number of Gram Panchayats to be covered, each insurer, in consultation with the respective Council and other applicable insurers, shall:
 - i. Identify the Gram Panchayats in a State/ UTs of their choice for fulfilment of the obligations.
 - ii. Ensure adequate coverage of Gram Panchayats in all States and UTs to spread the coverage pan India in such a manner that no State/UT is left unrepresented, including:
 - a. Life Insurer shall share the names of Gram Panchayats with other life insurers and Life Insurance Council.
 - b. General Insurer-1 and General Insurer-2 shall share the names of Gram Panchayats with other General and Health insurers and General Insurance Council.

- iii. Respective Councils shall ensure that the Gram Panchayat selected by
 - a. One life insurer is not selected by any other life insurer
 - b. One General Insurer-1 is not selected by any other General Insurer - 1
 - c. One General Insurer-2 is not selected by any other General Insurer - 2
- iv. Upon finalisation of the list of Gram Panchayats, the respective Councils shall share the insurer-wise list of allocated Gram Panchayats with IRDAI by at least 30 Days before the start of FY.
- v. For FY 2025-26, Insurers are encouraged to continue with allocated Gram Panchayats in FY2024-25 to enable continuity. However, in case of any unavoidable circumstances in continuing with in any of the allocated Gram Panchayat, the insurer may change the allocated Gram Panchayat and share the details to the respective Councils along with the reasons for the change before 31st July 2025. The respective Councils shall submit the finalized list of Gram Panchayats to IRDAI by 14th August 2025.

5. Capturing of Village LGD Code

- a) Local government Directory of Ministry of Panchayati raj is an online platform to the States/UTs to maintain the up-to-date list of respective administrative units
- b) The councils shall obtain “District- Village Panchayat- Village –Pincode” mapping from Local Government Directory of Ministry of Panchayti Raj and share the same to all insurers for identification of Rural Sector business at underwriting level.
- c) Insurers shall make necessary arrangements to capture Village LGD Code at underwriting level for measuring the fulfilment of the Rural Obligation This exercise shall be completed by insurers in a time bound manner i.e. within 6-8 weeks.

6. How to Measure

a) Life Insurance – For Life Insurers; Health Insurance - For General Insurer -2

- i. The insurers shall obtain the number of lives and other details, as available, pertaining to each gram panchayat. They shall coordinate with Ministry of Panchayati Raj, Government of India, other Central Government, State Government, Local Government bodies and Gram Sachiv of the Gram Panchayat to obtain base data.

Insurers may also use publicly available web portals of Government bodies for obtaining such data .

b) General Insurance – For General Insurer - 1

The insurers shall obtain the number of dwellings & shops and motor vehicles, as available, in a Gram Panchayat. They shall coordinate with Ministry of Panchayati Raj, Government of India, other Central Government, State Government, Local Government bodies and Gram Sachiv of the Gram Panchayat to obtain base data.

Insurers may also use publicly available web portals of Government bodies for obtaining such data.

c) Base Data for Each of the Gram Panchayats Allotted (herein after referred to as “base data”) – to All insurers:

- i. Each insurer shall collect the base data and submit the same to respective councils. Based on the submission of insurers, respective Councils shall make necessary arrangements to create and maintain a central pool of base data.
- ii. Each insurer shall share quarterly data of meeting the obligations (herein after referred to as “insured data”) _with respect to each of the Gram Panchayat allotted, as per the formats and timelines determined by the respective Councils.
- iii. The respective Councils, in consultation, with the insurers, as applicable, shall put in place a mechanism:
 - a. to identify, record, coordinate, monitor and exchange information of the number of lives, dwelling & shops and motor vehicles to be covered in the Gram Panchayat and wherever appropriate, replicate across all Gram Panchayats in the State/ UTs.
 - b. to keep up-to date, the base data, including an annual review as below:
 1. Update of the base data in respect of each Gram Panchayat allocated during the previous years
 2. Creating and maintaining base data for the additional Gram Panchayats selected for the Financial Year
 3. Annual review of the base data as above shall be completed for every Financial Year by 30th June.
 4. For FY 2025-26, this base data shall be finalized by 30th September 2025.
- iv. To achieve the goal of full saturation of the Gram Panchayat, the insurers shall work in close coordination with the Gram Sarpanch and Gram Sachiv

7. When to Measure - Common – Life Insurers, General Insurer - 1 and General Insurer - 2

- a) The respective Councils after coordinating and exchanging information with the insurers, as applicable, shall:

- i. ascertain the number of lives insured by all life insurers and general insurer - 2, and number of dwelling & shops and motor vehicles in case of all General Insurer – 1 ,
 - ii. Submit insurer-wise data, separately for each Gram Panchayat allocated, in terms of number of lives, dwellings & shops and motor vehicles covered in the quarter within 30 days of end of the quarter to IRDAI as per the returns specified.
 - b) Any shortfall in the obligations, set above under S.No. 3 (A), as the case may be, to be covered by each insurer shall be considered as non-fulfilment of the obligations by the concerned insurer.
- 8. How to check Compliance - Common – Life Insurers, Health Insurers, General Insurer 1 and General Insurer 2**
- a) The insurers shall use the common format of certificate devised by the councils to obtain the certificate from the Gram Sachiv, on a quarterly basis, certifying the details of the lives or dwellings & shops or motor vehicles insured, as applicable, by the insurers in the allocated Gram Panchayat.
 - b) In case the position of Gram Sachiv is vacant in any allocated Gram Panchayat, the insurers may obtain such certificate from a person authorised to act as Gram Sachiv for the said Gram Panchayat. The certification shall form the basis of reporting of the numbers of lives covered on a quarterly basis to IRDAI.
 - c) The certificate from the Gram Sachiv shall be the proof of lives or dwellings & shops or motor vehicles insured, as applicable, in the Gram Panchayat and the same shall be stored in electronic format and made available for verification by IRDAI.
 - d) Despite best efforts, if for any unforeseen reasons, the insurer couldn't obtain Gram Sachiv certificate in any of the allocated Gram panchayats, self-certification using Local Government Directory data shall be allowed in lieu of Gram Sachiv Certificate. Such self-certification:
 - a) shall not exceed 25% of the total number of allocated Gram panchayats.
 - b) Shall be submitted by the Chief Executive Officer of the Insurer, duly certified by the statutory auditor of the respective insurer, along with the reasons for not obtaining the Gram Sachiv Certificate.

CHAPTER – IV

Methodology for arriving at the obligations with respect to Social Sector

- 9. In respect of all Insurers (Life, General and Standalone Health, excluding AIC and ECGC)**
 - a) **What to measure** - Every insurer shall insure a minimum number of lives as a proportion of total lives in accordance with Regulation 4(B), 5 and 7 of the

IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024.

- b) **How to measure** - The respective Councils shall:
- i. coordinate with Government agencies to collate data for social sector population and share with life and general insurers, as applicable.
 - ii. approach the appropriate Authorities to access the list of beneficiaries of various central and/ or state sponsored schemes through the schemes website given in Regulation 5 (b) and (c) of the IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 and any other relevant database.
 - iii. In case no government backed identity card is available with the prospect, as a proof of identify for social sector, the insurer may obtain a self-certification from the prospect of his/her profession supported by an appropriate proof such as photographs etc. However, such cases of self-certification shall not exceed 20% of their total social sector obligations.
- c) **When to measure** - At the end of the quarter, every insurer shall ascertain the number of lives covered under the definition of “social sector” as a proportion of the total lives covered and report the same within 30 days of end of the quarter to IRDAI.
- d) **How to check compliance** - The insurer shall make arrangements to record classification of lives as per the definition of “Social Sector”. It shall also record the source / database from where the lives classified as “Social Sector” has been taken.

CHAPTER – V

Methodology for arriving at the obligations with respect to Motor Third Party

10. For General Insurer – 1

- a) **What to measure** - Every general insurer -1 shall insure a minimum percentage increase in number of goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors in accordance with Regulation 6 and 7 of the IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024.
- b) **How to measure** - The general insurer – 1 along with General Insurance Council shall:
- i. engage with the Insurance Information Bureau (IIB) and State RTAs, as available, to identify uninsured goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors in the country.
 - ii. in consultation with IIB shall prepare a list, as available, of uninsured goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors which shall carry the category of vehicle, its registration number, the name of the owner and the State RTA where it is registered.

- c) When to measure** – Every general insurer - 1 shall submit to IRDAI on quarterly basis within 30 days of end of the quarter
- i. the number of goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors already on its books and/ or on the books of other insurers and renewed by it and,
 - ii. the number of uninsured goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors insured by it
- to arrive at the achieved obligations for motor third party insurance, insurer-wise.
- d) How to check compliance** – For the purposes of checking compliance, the data given in 10(c) (ii) above will be cross-verified against the IIB database of uninsured vehicles.

CHAPTER – VI

Miscellaneous

- 11. Reporting requirements** –The insurer shall submit to the Authority returns as per Master Circular on submission of returns.
- 12.** Insurers shall submit the data on Rural, Social and MTP obligations to IIB as per the respective data formats similar to other LoBs.

हस्ताक्षरित / sd/-
सुरेश नायर / **Suresh Nair**
महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / **GM (Non-Life)**